(नियम 26)

2022/305

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री राजेश कुमार तोतलानी पुत्र श्री मनोज कुमार

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 43 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुझुनू	
22.09.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक संख्या 2 स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि वह अपनी फर्म ऋषि मसाला उघोग के नाम से भुदोली रोड़ नीम का थाना सीकर में मसाले तैयार कर बाजार में सप्लाई करता है। अनावेदक संख्या 1 के यहां से लिये गये मसाले के सेम्पल में किसी प्रकार की मिलावट नही पाई गई है। केवल पाउच पर लिखावट में कमी रहने से मसाला मिस ब्रान्ड माना गया है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1546/एक्ट/2022/1536 दिनांक 22.04.2022 के अनुसार अनावेदक संख्या 1 के मनोज प्रोविजन स्टोर, मैन मार्केट, नगरपालिका के पास खेतड़ी से लिया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर का सेम्पल मिसब्रान्ड (Misbranded) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से लाल मिर्च पाउडर की खरीद का पक्का बिल सेम्पल लिये जाते समय प्रस्तुत किया था तथा अनावेदक संख्या 2 स्वयं निर्माता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर का सेम्पल मिसब्रान्ड (Misbranded) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 2 श्री ऋषिकेश जांगिड़ पुत्र श्री [illegible] भुदोली रोड़ नीम का थाना, सीकर को खाद्य सुरक्षा अधिनियम [illegible] (zf)(C)(i) का दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000 [illegible] डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित [illegible] मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत करें। आ[illegible] की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Prasad Gour Date: 2022.10.06 11:27:49 IST Reason: SelfAttested अति. जिला कलेक्टर झुझुनू	